ASI

संख्या– /XXVIII–4–2015–04(घो0)/2011

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 28 जनवरी, 2015

विषय– प्रदेश में कार्यरत आशा कार्यकत्रियों हेतु वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि रू0 5000/– अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–750/XXVIII–4–2014–04(घो0)/2011, दिनांक 20.05.2014 के क्रम में अपने कार्यालय के पत्र संख्या–5प/1/25/2014–15/32503, दिनांक 24.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों को संलग्न निर्धारित मूल्यांकन प्रारूप के अनुसार राज्य सरकार की ओर से वार्षिक राज्य प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि रू0 5000/– वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं आगामी वित्तीय वर्षों में प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में वार्षिक प्रोत्साहन की धनराशि प्रदान किये जाने हेतु धनराशि रू0 5,54,30,000/– (रूपया पांच करोड़ चौव्वन लाख तीस हज़ार मात्र) को अवमुक्त करते हुये निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. राज्य में कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों को उक्त वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि शासनादेश संख्या–750/XXVIII-4-2014-04(घो0)/2011, दिनांक 20.05.2014 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014–15 में देय होगी।
2. उक्त प्रोत्साहन धनराशि प्रतिवर्ष दो अद्धवार्षिक किस्तों (माह मार्च देय अप्रैल एवं माह सितम्बर देय अक्टूबर) में प्रदान की जायेगी।
3. आगामी वित्तीय वर्ष में वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान आशा कार्यकत्रियों को आशा फैसिलिटेटर और ए0एन0एम0 द्वारा जिला आशा संस्थान केन्द्र के सत्यापन एवं मूल्यांकन उनके प्रशिक्षण पंजिका, गर्भावस्था फार्म, घरों के दौरों के प्रपत्र तथा लक्ष्य दम्पत्ति पंजिका से सत्यापित करने के उपरान्त ही दो अर्द्धवार्षिक किस्तों (माह मार्च देय अप्रैल एवं माह सितम्बर देय अक्टूबर) में किया जायेगा।
4. आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रतिवर्ष योजना दिनांक 01 अप्रैल से कियान्वित मानी जायेगी, जिसके अन्तर्गत आशाओं को दी जाने वाली अर्द्धवार्षिक किस्त (माह मार्च देय अप्रैल एवं माह सितम्बर देय अक्टूबर) प्रदान की जायेगी।

Kusum-2014, Asha, G.O.

5. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अवशेष धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जायेगी।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–आयोजनागत, 06–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य व्यय, 13–आशा कार्यकत्रियों को वार्षिक प्रोत्साहन मानक मद–42–अन्य व्यय के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1055/XXVII(1)/2014, दिनांक 30.12.2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रत्यायोजित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : मूल्यांकन प्रारूप।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 172 (1)/XXVIII–4–2015–04(घो0)/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
8. सचिव, गोपन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार, , उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
14. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।

Kusum-2014, Asha, G.O.

(प्रपत्र–क)

"आशा कार्यकर्त्री" हेतु वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किये जाने हेतु मूल्यांकन–प्रपत्र

मूल्यांकन एवं सत्यापन :–

उत्तराखण्ड में सभी "आशा" कार्यकर्ती को आशा फैसिलीटेटर और ए.एन.एम. द्वारा जिला आशा संसाधन केन्द्र के सत्यापन एवं मूल्यांकन उनके प्रशिक्षण रजिस्टर, गर्भावस्था फार्म, प्रसव फार्म, घरों के दौरे के फार्म तथा लक्ष्य दम्पत्ति रजिस्टर से सत्यापित करने के बाद ही वार्षिक प्रोत्साहन धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–772/2011, दिनांक 09.11.2011 के क्रम में चिकित्सा विभाग में कार्यरत सभी 'आशा' कार्यकत्रियों को राज्य सरकार की ओर से रू0 5000/– मात्र की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जानी है। यह धनराशि 02 अर्द्धवार्षिक किस्तों में दी जायेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत **'आशा'** कार्यकत्रियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है तथा मानकों के अनुसार प्रति एक हजार जनसंख्या में एक **'आशा'** कार्यकत्री को चुना जाता है परन्तु उत्तराखण्ड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं जनसंख्या के घनत्व को विचारित करते हुए इन मानकों में शिथिलीकरण करते हुए प्रति 500 की आबादी पर एक **'आशा'** की नियुक्ति भी की गयी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार इनके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य हेतु प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है। **(संलग्नक–1)**

वर्तमान में प्रदेश में कुल 11086 **'आशा' कार्यकत्रियों'** चयनित की गयी हैं जिन्हें समय–समय पर ''जिला आशा संशाधन केन्द्रों'' द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण भी दिये जाते हैं तथा इनके कार्यों के सत्यापन एवं मूल्यांकन हेतु 550 'आशा' फैसिलिटेटर (प्रत्येक 15 से 20 "आशा" कार्यकर्तियों पर एक आशा फैसिलिटेटर) की नियुक्ति भी की गयी है जो कि जिला 'आशा' संशाधन केन्द्रों के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारियों को जवाबदेह है।

उक्त के लिए इस धनराशि को आशा कार्यकर्ती की सक्रियता को और बढ़ाने के लिये इनके क्षेत्र में सक्रियता का मानक तय करते हुये निर्धारित मूल्यांकन–प्रपत्र पर आशाओं के कार्यो का मूल्याकंन आशा फैसिलीटेटर द्वारा वर्ष में दो बार (माह अप्रैल से सितम्बर एवं माह अक्टूबर से मार्च) करते हुए मूल्यांकन प्रपत्र भरा जाएगा। तदोपरान्त उक्त प्रपत्र को ए.एन.एम. द्वारा सत्यापित कर "जिला आशा संसाधन केन्द्र" के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। आशा कार्यकर्तीयों के द्वारा किये गये कार्यो का सत्यापन एवं मूल्यांकन उनके प्रशिक्षण पंजिका, गर्भावस्था फार्म, प्रसव फार्म, घरों के दौरे के प्रपत्र तथा लक्ष्य दम्पत्ति पंजिका से सत्यापित किया जाएगा तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस धनराशि को आशा कार्यकर्तियो को वर्ष में दो बार अर्द्धवार्षिक किस्तों के रूप में वितरित करेंगे।

चिकित्सा विभाग में कार्यरत सभी 'आशा' कार्यकर्तियों को राज्य सरकार की ओर से रू0 2000/– मात्र की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में वर्ष भर में निश्चित रुप से दी जानी है। इसके अतिरिक्त रु0 3000/– मात्र की धनराशि उन्हें कार्य निष्पादन के लिए मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जानी है। मूल्यांकन की सारणी संलग्न है। यह धनराशि दो अर्द्धवार्षिक किस्तों में दी जायेगी।

*छमाही मूल्यांकन में यदि कोई आशा कुल अंकों का 30 प्रतिशत प्राप्त करती है तो वह 50 प्रतिशत अर्द्धवार्षिक भुगतान की हकदार होगी तथा यदि वह 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करती है तो पूर्ण अर्द्धवार्षिक भुगतान हेतु अर्ह होगी। इसी तरह दूसरी छमाही में वह यदि पूर्ण वर्ष के लक्ष्यों के सापेक्ष 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेती है तो 75 प्रतिशत दूसरे अर्द्धवार्षिक भुगतान के लिए अर्ह रहेगी तथा 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर दूसरी छमाही का पूर्ण भुगतान प्राप्त कर सकेगी।

मूल्यांकन हेतु लक्ष्यों का निर्धारण मुख्य चिकित्साअधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दिशा–निर्देशानुसार तथा जिले की विशिष्ट परिस्थितियों एवं जनसंख्या के अनुरूप किया जायेगा।

****

(प्रपत्र–ख)

"मूल्यांकन–प्रारूप"

क.सं.	आशाओं की गतिविधि	लक्ष्य	स्केल (0–10)
1	नवजात शिशु को पहले दिन देखा	मैदानी क्षेत्र में 10/पहाड़ी क्षेत्र में 5 बच्चे के लिए 10 अंक यदि इससे कम तो 0 अंक।	
2	प्रसव प्रश्चात घरों के दौरे (संस्थागत हेतु 6 दौरे एवं घर पर प्रसव के लिए 7 दौरे)	मैदानी क्षेत्र में 5 से 10/पहाड़ी क्षेत्र–3 से 5 नवजात बच्चे के के घरों के दौरों के लिए 10 अंक यदि मैदानी क्षेत्र में 5/ पहाड़ी क्षेत्र–3 से कम है तो 0 अंक।	
3	वी0एच0एण्ड0डी0 में उपस्थित/ टीकाकरण को प्रोत्साहन	यदि 6 वी.एच.एन.डी. में भाग लिया तो उसे 10 अंक यदि 6 से कम में भाग लिया तो 0 अंक।	
4	संस्थागत प्रसव में सहायता/ महिला को संस्था तक लाना	यदि आठवें महीने में सभी गर्भवती की प्रसव की योजना तैयार की है तो 10 अंक यदि आठवें महीने में सभी गर्भवतियों की प्रसव योजना तैयार नहीं की तो 0 अंक।	
5	शिशु रोगों का प्रबंधनः मुख्यत/ निमोनिया व दस्त	यदि 5 वर्ष तक के कम आयु वाले बीमार बच्चों के 50% से अधिक परिवार ने आशा से सलाह या उपचार लिया हो तो 10 अंक यदि इससे कम होतो 0 अंक।	
6	पोषण के परामर्श के लिये घरों का दौरा	यदि कमजोर एवं वंचित वर्ग, 2 वर्ष तक के आयु के बच्चों, तथा 5 वर्ष तक के आयु के कुपोषित बच्चों के घर में पूर्ण रुप से दौरा कर उन्हें पोषण संबन्धी परामर्श दिया हो तो 10 अंक यदि नही तो 0 अंक।	
7	बुखार के मरीज देखे/मलेरिया ग्रसित क्षेत्र में खून के नमूने एकत्र किये	यदि मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में 50% से अधिक मलेरिया के रोगी की स्लाइड/उपचार प्रदान की हो। तो 10 अंक यदि इससे कम हो तो 0 अंक।	
8	डाट्स दवाओं का वितरण	यदि क्षेत्र में टी0बी0 के मरीज के लिए डॉट्स कार्यकर्ता की भूमिका निभायी है तो 10 अंक यदि नहीं 0 अंक	
9	ग्राम स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति में भाग लिया/आयोजित की	यदि 6 वी.एच.एस.एन.सी. की बैठक आयोजित की हैं तो 10 अंक यदि 6 से कम आयोजित की हैं तो 0 अंक	
10	कॉपर टी निवेशन/महिला नसबन्दी/एन0एस0वी0 के लिए सफल रेफरल एवं कन्डोम वितरण सुनिश्चित किया	यदि उसने क्षेत्र में 6 या अधिक पात्र दम्पत्तियों को परिवार नियोजन सेवाओं की स्थायी एवं अस्थायी विधि का प्रयोग करवाया हो तो उसे 10 अंक यदि 6 से कम को सेवा प्रदान की है तो 0 अंक	
	*कुल अंक		